न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 10/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. बलबीर सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत – मृतक
1/1. श्रीमती अंगूरी देवी बेवा बलबीरसिंह जाति राजपूत,
1/2. ओमपाल सिंह पुत्र स्व0 बलबीरसिंह – मृतक
1/2/1. श्रीमती बिमला धर्मपत्नि ओमपालसिंह,
1/2/2. रोहिताश पुत्र स्व0 ओमपालसिंह,
1/2/3. प्रददीप पुत्र स्व0 ओमपालसिंह – मृतक
1/2/3/1 श्रीमती सुनीता देवी पत्नि प्रदीप
1/2/3/2. मोहितसिंह पुत्र स्व0 प्रदीप नाबालिग,
1/2/3/3. नेन्सी पुत्री स्व0 प्रदीप नाबालिग जरिये सरपरस्ती श्रीमती सुनीता देवी जाति राजपूत ।
1/3. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 बलबीरसिंह – मृतक
1/3/1. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नि महेन्द्रसिंह,
1/3/2. ओमप्रकाशसिंह पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह,
1/3/3. अनिल सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह निवासीयान ग्राम शाहजहापुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर ।
1/3/4. श्रीमती सविता देवी पुत्री स्व0 महेन्द्रसिंह धर्मपत्नि महावीरसिंह निवासी बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर ।
1/4. शिशुपाल सिंह पुत्र स्व0 बलबीरसिंह,
1/5. राजपतसिंह उर्फ राजेश पुत्र स्व0 बलबीरसिंह ।
2. मु0 मती बेवा उगमसिंह जाति राजपूत – मृतक
2/1. रोहिताश पुत्र स्व. ओमपालसिंह
2/2. प्रदीप पुत्र स्व0 ओमपालसिंह,
2/3. ओमप्रकाशसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह,
2/4. अनिलसिंह पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह
2/5. शिशुपालसिंह पुत्र बलबीरसिंह,
2/6. राजपसिंह उर्फ राजेश पुत्र बलबीरसिंह,
2/7. मदनसिंह पुत्र स्व0 शिवलालसिंह,
2/8. विक्रमसिंह पुत्र स्व0 शिवलालसिंह – मृतक
2/8/1. कृष्णा देवी पत्नि स्व0 विक्रमसिंह,

2/8/2. अभयसिंह पुत्र स्व0 विक्रमसिंह,
2/8/3. मोनू पुत्र स्व0 विक्रमसिंह,
2/8/4. अनुराधा पुत्री विक्रमसिंह नाबालिग,
2/8/5. कोमल पुत्री विक्रमसिंह नाबालिग जाति राजपूत निवासी शाहजहापुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर नाबालिगान जरिये सरपरस्त मु0 कृष्णादेवी माता खुद ।
2/9. किशनसिंह पुत्र स्व0 शिवलालसिंह,
2/10. राजेश सिंह पुत्र स्व0 शिवलालसिंह
2/11. पप्पूसिंह पुत्र स्व0 शिवलालसिंह,
2/12. प्रमोद पुत्र स्व0 शिवलालसिंह,
2/13. बहादुरसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह,
2/14. लालसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह,
2/15. जयसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह,
2/16. रामस्वरूपसिंह पुत्र भंवरसिंह,

3. शिवलालसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत – मृतक
3/1. श्रीमती फूली देवी पत्नि स्व0 शिवलालसिंह,
3/2. मदनसिंह पुत्र स्व0 शिवलालसिंह,
3/3. विक्रमसिंह पुत्र स्व0 शिवलालसिंह,
3/4. किशनसिंह पुत्र स्व0 शिवलालसिंह,
3/5. राजसिंह पुत्र स्व0 शिवलालसिंह,
3/6. पप्पूसिंह पुत्र स्व0 शिवलालसिंह,
3/7. प्रमोद पुत्र स्व0 शिवलालसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम शाहजहापुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत – मृतक
1/1. मु0 सोना बेवाह देवीसिंह,
1/2. बहादुरसिंह पुत्र देवीसिंह,
1/3. लालसिंह पुत्र देवीसिंह,
1/4. जयसिंह पुत्र देवीसिंह,
1/5. सुनीता देवी पुत्री देवीसिंह,

2. रामस्वरूप पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहापुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर ।
2/1. सोमवती देवी पत्नि स्व0 श्री रामस्वरूपसिंह,
2/2. अनिता कंवर पुत्री स्व0 रामस्वरूपसिंह,
2/3. विजयसिंह,

2/4. अजयसिंह,
2/5. गजराजसिंह पुत्रान स्व0 रामस्वरूपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 ।
3. मु0 लाडो बेवाह गुदड़सिंह जाति राजपूत,
3/1. केवलसिह पुत्र जगतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम केलंगा तहसील व जिला रोहतक (हरियाणा)
4. तहसीलदार बहरोड़ (कमिश्नर) जिला अलवर ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री राजबहादुर, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जनार्दन शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–08.06.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील सहायक जिलाधीश बहरोड़ के निर्णय व डिक्री दि0 23.5.1986 के खिलाफ प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादीगण 1 से 3 स्वयं को एक ही खानदान के सदस्य बतलाते हैं । मुताकिया आराजी ख0 नं0 165 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, 666 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 253 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 551 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 622 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 623 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 645 रकबा 2 बीघा, 647 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 65 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, 712 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 745 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 949 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 952 रकबा 19 बिस्वा, 954 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 957 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 964 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 965 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 967 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 968 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 973 रकबा 10 बिस्वा, 979 रकबा 10 बिस्वा, 982 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 1167 रकबा 2 बीघा, 1168 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 1172 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 1173 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा ुल किता 29 रकबा 57 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम मौजा शाहजहांपुर पक्षकारान के बुर्जुगान के समय से ही पैदा करता है व कदीम से शामलात में ही काश्त करते चले आ रहे हैं । शजरा के अनुसार जगन्नाथसिंह के भंवरसिंह, सुमनसिंह, गुदड़सिंह तीन लड़के थे । भंवरसिंह के 3 वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 कुल पांच लड़के हैं । सुगनसिंह की बेवा फूला फौत हो गई है । गुदड़सिंह की बेवा मु0 लाड़ो है । विवादित भूमि जगन्नाथसिंह के समय से ही पैदा करदा है । यह भूमि हिन्दू उत्तराधिकार खानदान की है । सभी पक्षकारान बहिस्से बराबर के हैं । उक्त शजरा के मुताबिक जगन्नाथसिंह के वारिसान में से मु0 फूलादावा दायरी

के 2 वर्ष पूर्व बिना औलाद के स्वर्गवास हो चुका है । इसके वारिस भी हिस्सा मुताबिक ही अपीलांट व रेस्पो0 फरीकेन ही हैं । मु0 लाड़ो प्रतिवादी सं0 3 काफी वृद्ध है तथा उसके सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त हो चुकी है । जिसे कोई भी व्यक्ति चालाकी से बहला देता है । इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नं0 1 व 2 मुठमर्द व्यक्ति हैं जो अपने हिस्से से अधिक जमीन पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं । झगड़ा करते हैं तथा मु0 लाडो को बहला फूसलाकर उसके हिस्से की आराजी को बिना बंटवारा कराये ही मुन्तकिल करने को उतारू हो रहे हैं । मु0 लाडो को बेवा हुए काफी समय हो चुका है और उसके कोई औलाद भी नहीं है तथा न ही उसने मुतदाविया आराजी के किसी हिस्से पर कभी काश्त ही किया है और न ही आज तक हम फरीकेन की जमीन का बंटवारा ही हुआ है । वादिया व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ही सारी भूमि को शामलात में काश्त करते हैं । इस प्रकार से मु0 लाडो का कभी किसी हिस्से पर कब्जा काश्त नहीं रहा है । कुछ लोग मु0 लाडो से उसके हिस्से की भूमि की बिना बंटवारा करवाये ही मुन्तकिल करवाने को तैयार हो रहे हैं । अगर रजिस्ट्री लाडो ने करवा दी तो व्यर्थ में मुकदमेंबाजी बढ़ेगी । अतः प्रतिवादी नं0 1 व 2 को अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने से व प्रतिवादी सं0 3 को मुन्तकिल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के बराबर के हिस्से के अनुसार विभाजन हेतु दावा किया है । राजस्थान सरकार को फरीक मुकदमा बनाया है जिसे 80 सी.पी.सी. का नोटिस जरूरी नहीं है । प्रतिवादीगण ने 30.5.1981 से बंटवार करने से इन्कार है, यही वाद का कारण है । अतः शजरा जिमन नं0 1 के अनुसार फरीकेन के हिस्से कायम किया जाकर विभाजन करवाया जाकर मौके पर कब्जा दिया जावें व स्थाई निषेधाज्ञा से वाद निर्णय तक किसी भी हिस्से को विक्रय नहीं करने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए वाद दि0 23.5.1986 को डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 23.5.1986 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने बहस में जाहिर किया कि उक्त उनवान की अपील प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड़ के निर्णय दि0 23.05.1986 के खिलाफ पेश की गई थी । तहत न्यायालय ने अपने आदेश में वादी का 1/3 व प्रतिवादी लाडो का 2/3 हिस्सा गलत माना है जिसकी अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई थी जिसमें न्यायालय हाजा ने दिनांक 4.9.1995 को पूर्व में निर्णय पारित करते समय निर्णय में पर्चा डिक्री पारित करने का कोई आदेश नहीं दिया जो कानूनन आवश्यक था । इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा जो पूर्व निर्णय निर्णय पारित किया गया है वह अवैद्य, अनाधिकृत व बिना अधिकार पारित किया है । ऐसी कानूनी गलती को दुरूस्त करने का अधिकार व कर्तव्य न्यायालय हाजा

816

का है । न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 4.9.1995 के विरूद्ध जिसमें दावा को अबेट कर दिया था के खिलाफ नजरसानी प्रस्तुत की गई है जिसमें वाद में अंतिम निर्णय माननीय राजस्व मण्डल का पारित हो चुका है ।

अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि दावा तकसीम का बंटवारे का था जिसमें 1/3–1/3 हिस्सा प्रत्येक को मिलना चाहिए था लेकिन तहत अदालत ने बंटवारा बराबर न करके अपने मनमुताबिक कर दिया । विवादित भूमि जगन्नाथसिंह की थी जिसके तीन लड़के भंवरसिंह, सुगनसिंह व गुदड़सिंह हुए । चूंकि सुगनसिंह व गुदड़सिंह बिना औलाद फौत हो चुके हैं तथा सुगनसिंह की बेवा फूला वाद दायर करने से पूर्व ही फौत हो चुकी है और गुदड़सिंह की बेवा लाड़ो है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है । इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक मु0 फूला व मु0 लाड़ो का हिस्सा भी वादी, प्रतिवादी 1 व 2 को ही मिलना चाहिए था । तहत न्यायालय ने अपने आदेश में यह माना है कि हिन्दू मुश्तर्का खानदान की सम्पति पर सबका बराबर का हिस्सा होता है फिर भी 1/3 हिस्सा वादी का, 2/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 को गलत दिया है । पूरे आदेश में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वादी व प्रतिवादी बराबर नहीं होने चाहिए । तहत न्यायालय में वादी ने जो साक्ष्य व जबानी दस्तावेज पेश किये उन सभी ने वादी व प्रतिवादी को 1/3–1/3 हिस्सा माना तथा दस्तावेजी साक्ष्य सम्वत् 2020 की जमाबन्दी पेश की जिस पर भी गौर नहीं किया ।

बहस में आगे कहा कि दावा कुल आराजी रकबा 57 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 29 जो कि विवादग्रस्त है । एक खानदान की आराजी है । वादपत्र में जो सजरा खोला गया है उसके मुताबिक समस्त आराजी को 1/3–1/3 हिस्से में बांटनी चाहिए थी । तहत न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर 5 तनकी कायम कि जिसमें मुख्य तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में प्रमाणित मानते हुए वादी के पक्ष में स्वीकार की तथा शेष तनकीयात का स्पष्ट निर्णय नहीं है जबकि तनकी नं0 1 के आधार पर ही शेष तनकी जुड़ी हुई थी उनको भी वादी के पक्ष में ही तय करना चाहिए था । तहत न्यायालय ने कहा कि फूला का हिस्सा लाडो बेवा गुदड़सिंह के नाम दर्ज हो गया जो कि गलत है । कानूनन फूला का हिस्सा वादी नं0 1 के नाम चढ़ना चाहिए था जिस हिस्से में वादी का 2/3 हिस्सा कुल काश्त में बनता है । तहत न्यायालय ने सारे आदेश में वादी व प्रतिवादी का 1/3–1/3 हिस्सा मानती है तथा अन्त में वादी का 1/3 व प्रतिवादी जो मांगता नहीं है और उसका अधिकार नहीं है उसे 2/3 हिस्सा गलत दिया गया है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया और तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त करने की इस्तदुआ की ।

प्रतिउत्तर में अभिभाषक रेस्पो0 ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वर्तमान अपील बलबीरसिंह वगैरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.1986 के खिलाफ प्रस्तुत की है । दौराने अपील गूदड़सिंह का स्वर्गवास हो गया जिसका इन्तकाल मु0 लाडो के नाम एवं सुगनसिंह की विरासत का इन्तकाल मु0 फूला देवी के नाम चढ़ गया व फूलादेवी का 1/3 हिस्सा भी जर्ये

8/16

वसीयत मु0 लाडो के नाम इन्तकाल होकर चढ़ गया है । अपील में प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 प्रस्तुत किया गया जिसमें गूदड़सिंह का इन्तकाल फूलादेवी के नाम दर्ज होने एवं फूलादेवी का 1/3 हिस्सा मु0 लाडो के नाम इन्तकाल से गलत प्रकार से दर्ज किया जाना बताते हुए वाद में संशोधन चाहा था जिसका जवाब पेश किया गया । प्रार्थना पत्र को दि. 15.10.87 को खारिज कर दिया जिसमें प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट का भी उल्लेख किया गया जो प्रार्थना पत्र लाडो के पक्ष में दि0 4.6.84 को स्वीकार किया गया किन्तु आदेश दि0 15.10.87 के खिलाफ कोई अपील पेश नहीं की गई जबकि उक्त आदेश में कब्जा मु0 लाडो बाई का पाया गया किन्तु दि0 4.6.84 के आदेश के खिलाफ अपील माननीय न्यायालय में पेश की गई जो दि0 4.9.1995 को अबेट कर दी ।

इसी दौरान अपीलांट बलबीर का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिसों द्वारा कायम मुकाम किये गये व मु0 लाडो का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके वसीयतदार केवलसिंह जिसके कि वारिसान हम रेस्पो0 है के द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र दि0 20.5.88 को पेश किये गये । मु0 मति का स्वर्गवास हो जाने के कारण ओमप्रकाश द्वारा मरम्मत सवाल प्रार्थना पत्र पेश किया व रेस्पो0 देवीसिंह का स्वर्गवास हो जाने से शिवलाल द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया । इनमें लाडो बाई का मरम्मत सवाल दि0 20.5.88 को पेश किया गया जबकि अन्य तीनों के मरम्मत सवाल प्रार्थना पत्र एक ही दिन 17.8.84 को पेश किये थे जिसमें से मु0 लाडो बाई का मरम्मत सवाल प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद स्वीकार किया गया किन्तु बलबीर, मु0 मति व देवीसिंह के वारिसों द्वारा प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल मियाद बाहर मानते हुए दि0 4.9.95 को खारिज किये गये । इसके करीब 4 साल बाद एक नया दावा अंगूरीदेवी वगैरा द्वारा सहायक जिलाधीश बहरोड़ के यहां अंगूरी देवी बनाम केवलसिंह पेश किया किन्तु उक्त वाद को रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने के कारण प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार फरमाते हुए दि0 28.2.2006 को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहां पेश हुई जो अपील दि0 2.5.2006 को खारिज कर दी व जिसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दि0 1.8.2006 को पेश की गई जो कि अभी तक एडमिट नहीं हुई है ।

उक्त अबेटमेन्ट को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दि0 30.10.2006 को खारिज कर दिया जिस आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रिवीजन पेश हुई जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दि0 26.12.2007 को रिवीजन स्वीकार करते हुए उक्त आदेश दि0 30.10.2006 निरस्त कर दिया व मृतक अपीलांट बलबीर के वारिसों को रेकार्ड पर लेकर पुनः निर्णय करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर वर्तमान अपील माननीय न्यायालय मे लम्बित है । वर्तमान अपील अधीनस्थ न्यायालय के जिस निर्णय दि0 23.5.86 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में विचाराधीन है वह निर्णय विधिसम्मत है क्योंकि दावा तकसीम एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें यह अनुतोष मांगा गया है कि मुताबिक

सजरा जिमन नं0 1 दावा बहिस्सा बराबर कब्जा दिलाया जावें व आराजी को रहन, बय, हिबा आदि से पाबन्द करने से रोका जावें ।

प्रतिवादी सं0 1 देवीसिंह ने अपने जवाब में स्पष्ट अंकित किया है कि दावे में राजस्थान सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि तकसीम के दावे में लैण्ड होल्डर सरकार की ओर से तहसीलदार को पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक है जिसके अभाव में विभाजन का दावा खारिज किये जाने योग्य है । जवाब दावे के अनुसार फत्तूसिंह व रामूसिंह सह खातेदार है जिनको भी दावे में पक्षकार नहीं बनाया है जो आवश्यक पक्षकार कानूनन आज्ञापक हैं । ऐसी स्थिति में दावा मिस ज्वाईण्डर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित होने के कारण भी खारिज किये जाने योग्य है । वादी की ओर से गवाह पेश हुए हैं । बलबीर वादी स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी में से 1/3 हिस्से के मालिक हम 5 भाई के लड़के, 1/3 हिस्से पर मु0 फूला व 1/3 हिस्सा मु0 लाडोबाई खातेदार काश्तकार है । मैं बंटवारे का दावा लाया हूं । कानूनन वादी की यह स्वीकारोक्ति है कि रामूसिंह व फत्तूसिंह सह खातेदार है जिन्हें दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है । वादी द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत् 2034 जिसमें बलबीरसिंह, हुकमसिंह, शिवलालसिंह देवीसिंह, रामस्वरूपसिंह 1/3 हिस्सा, मु0 लाडो पत्नि गुदड़सिंह 1/3 हिस्सा व मु0 फूलो बेवा सुगनसिंह 1/3 हिस्सा सह खातेदार दर्ज रेकार्ड है । पर्चा लगान की रसीदें हैं जिनमें भी 1/3–1/3 हिस्सा दर्शाया गया है । इन्तकाल सं0 464 फूलोदेवी की विरासत का इनतकाल लाडोबाई के नाम चढ़ा इसलिए लाडोबाई का हिस्सा 2/3 बनता है जो साक्ष्य से साबित है ।

जवाब बहस में आगे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से विधिसम्मत एवं साक्ष्य के अनुकूल है जिसमें किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है न ही उसे अपास्त करने का कोई विधिक आधार मौजूद है । हमारे पक्ष में 2/3 हिस्से की जो डिक्री तथा अपीलांट का 1/3 हिस्सा मानते हुए पारित की गई है और वादी का वाद खारिज किया है वह पूरी तरह से सही है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

उनहोंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 2005 पेज 71, आर.एल.डब्ल्यू.2011 पेज 1317, आर.एल.डब्ल्यू. 2005 पेज 91 व 634 पेश किये ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों, जवाब दावा व माननीय न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का अवलोकन करते हुए मूल निर्णय दिनांक 23.5.1986 का अवलोकन किय गया तथा उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया ।

तहत न्यायालय में पेश विभाजन के व वाद के आधार पर वाद के निर्णय हेतु चाहे वह प्रारम्भिक डिक्री के आदेश हैं या फिर अंतिम डिक्री के आदेश जारी करने हेतु कानूनी बिन्दू तय किये जाने हैं । प्रथम कानूनी बिन्दु यह है कि विभाजन के वाद में तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है जिसे इस विभाजन के वाद में पक्षकार

नहीं बनाया है । द्वितीय वाद के बिन्दु सं0 2 के संबंध में कि फूला मृतक के हिस्से का विरासतन का नामान्तकरण किस आधार पर तथा किनके मध्य खोला गया/दर्ज किया गया । इस संबंध में कोई आदेश नहीं हैं । तहत न्यायालय ने भी इस बिन्दु पर निर्णय में प्रश्न उठाया है कि मृतक फूला कि विरासत किसके नाम चढ़ी है तथा किस आधार पर चढ़ी है । इसका रेकार्ड व साक्ष्य पेश नहीं किया है । इसलिए इसका निर्णय नहीं किया जा सका है । अतः इन कानूनी बिन्दुओं पर पुनः निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है । साथ ही मृतक फूला के विरासतन नामान्तकरण की नकल व उसके कानूनी वारिसान के संबंध में कोई रेकार्ड व साक्ष्य नहीं है । अपीलांट ने अपने वाद में इस कानूनी बिन्दु को उठाया है कि मु0 फूला की विरासतन हम वादीगण व प्रतिवादी समान हिस्से अनुसार अधिकारी हैं । अतः यह कानूनी बिन्दु है जिस पर किसी प्रकार से तनकीयात कायम नहीं की गई । अतः तहत न्यायालय को इन दोनों बिन्दुओं पर उभयपक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है । इसलिए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए अपीलांट की अपील तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड के निर्णय व डिक्री दि0 23.05.1986 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड़ जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विभाजन के वाद में तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया जावें और फूला मृतक के विरासतन अधिकार पर कानूनी बिन्दू तय करके पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/6/18

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर